समाहरणालय, दरभगा।
(आपूर्ति शाखा)

दिनांक–07.03.2017 को जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति (खरीफ विपणन मौसम 2016–17) संबंधी टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही की शुरूआत में जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा ने अपने ज्ञापांक–379 दिनांक– 07.03.2017 द्वारा अधिप्राप्ति संबंधित प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करते हुये बताया कि कुल चयनित व्यापार मंडल–10 एवं पैक्स–253 में से 192 पैक्सा/व्यापार मंडल द्वारा 3208 किसान से 17895.37 एम0टी0 धान की खरीददारी किया गया है तथा कुल जेनरेटेड एडभाईस 2774 में कुल किसान 2177 को बैंक द्वारा 1846.42 लाख रूपये का भुगतान करा दिया गया है तथा अधिप्राप्ति की गई धान की समतुल्य 67 प्रतिशत सी0एम0आर0 11989.90 एम0टी0 में से 4617.78 एम0टी0 सी0एम0आर0 राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर उपलब्ध करा दिया गया है एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा 809.15 लाख रूपये भुगतान की गई है।

- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि पूर्व के अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के बैठक में दिये गये निदेश यथा शेष 6 व्यापार मंडल एवं 76 पैक्स को नोटिस करते हुये धान अधिप्राप्ति हेतु एक्टिभेट कराये जाने संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया गया। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन दो दिनों के अन्दर अचुक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को पुनः निदेश दिया गया कि जो पैक्स शहर में है तथा धान अधिप्राप्ति नहीं कर रहा है उसका C.C withdraw कर लिया जाय एवं दो दिनों के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को पुनः निदेश दिया गया कि किसान को किये गये भुगतान का randomly verify कर अगामी अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे तथा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे।
- पूर्व के बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया था कि पैक्स द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर उपलब्ध कराए गए सी0एम0आर0 की वास्तविक मात्रा का ही प्रतिवेदन तैयार करें तथा मिल पर प्रतिनियुक्त अधिप्राप्ति पदाधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त करें कि सी0एम0आर0 मिल संबंधित मिल द्वारा ही तैयार किया गया है। इसके बावजूद मेसर्स रायजी राईस मिल द्वारा निम्न स्तरीय सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र, केवटी पर भेज दिया गया। जिसे गुणवत्ता नियंत्रक एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा द्वारा जांच के बाद वापस किया गया। अतः इससे प्रतीत होता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं मिलों पर प्रतिनियुक्त अधिप्राप्ति पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर इसकी पुनरावृति होती है तथा सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने से पहले मिल में सी0एम0आर0 तैयार करने संबंधी प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कठोर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जायगा।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा ने अपने ज्ञापांक–287 दिनांक–21.02.2017 तथा 382 दिनांक–07.03.2017 से मिल एवं पैक्स का सम्बद्धता परिवर्तित किया है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा को निदेश दिया गया कि दो दिनों के अंदर इस संबंध में प्रमाण–पत्र सौंपे की जिला अधिप्राप्ति टास्क फोर्स में दिये गये निदेश के अनुपालन के अधीन यह सम्बद्धता परिवर्तन किया गया है। निदेश से इतर कोई भी सम्बद्धता परिवर्तन के उपरान्त अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिये जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायगी। प्रमाण–पत्र समर्पित करने के उपरान्त अगली बैठक में अनुमोदन दिया जायगा।
- बैठक के मध्य में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा पूर्व के बैठक में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन यथा एकरारनामा की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना इत्यादि निदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने के वजह से अगर कोई समस्या उत्पन्न होगी तो इसके लिए जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

7.03.17

➢ जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा अपने ज्ञापांक–417 दिनांक–04.03.2017 से मेसर्स श्री सीताराम राईस मिल, बेनीपुर को सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र, बिरौल पर सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने हेतु सम्बद्ध किया है जबकि पूर्व में सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्र, बेनीपुर से सम्बद्ध किया गया था। यह अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के निर्णय का उल्लंघन है। इसके वजह से मिलर को अत्यधिक परिवहन व्यय करना पड़ेगा। अतः जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि तत्काल नियमानुसार सी0एम0आर0 गोदाम खाली कर मिल से सी0एम0आर0 पूर्व के सम्बद्धता के अनुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

➢ जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा ने अपने ज्ञापांक–418 दिनांक–04.03.2017 से मेसर्स देकुली जगरनाथपुर पैक्स राईस मिल की दूरी के आधार पर पूर्व के सम्बद्धता सी0एम0आर0 गोदाम, बिरौल से हटाकर दूरी के आधार पर सी0एम0आर0 गोदाम, बहादुरपुर में किया गया है। इस संबंध में जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि पूर्व में इस बिंदु पर निदेश के बावजूद विचार क्यों नहीं किया गया था।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0—
जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 286 / जि0आ0, लहेरियासराय, दिनांक – 10/03/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– उप निदेशक खाद्य, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, दरभंगा/जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा/ जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा/क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड एवं अंचल के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला अग्निशामक पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी क्रय केन्द्र प्रभारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। जिला प्रबंधक, बि0रा0खा0नि0 अपने स्तर से तामिला करायेंगे।
प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक, बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक, दरभंगा/श्रम अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

8.07.03.17